भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2236

उत्तर देने की तारीख 06 दिसंबर, 2019

शुक्रवार, 15 अग्रहायण, 1941 (शक)

देश में महिला उद्यमी

2236. श्री संजय सिंहः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महिला उद्यमियों की संख्या काफी कम होने के लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से हैं;

(ख) इस स्थिति की बेहतरी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने की भावी योजनाएं क्या हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग) भारत में महिला उद्यमियों की प्रमुख चुनौतियों में निधियन प्राप्त करना, बाजार की उपलब्धता, पारिवारिक अड़चनें, व्यवसाय कौशलों में विश्वास की कमी, लैंगिक पक्षपात आदि शामिल हैं। महिला उद्यमियों के विकास में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग अनेक स्कीमों, यथा- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा स्टार्ट-अप इंडिया तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के उद्यम सखी पोर्टल सहित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आदि का कार्यान्वयन कर रहे हैं।

स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य देश में नवोन्मेष और स्टार्टअप का पोषण करने के लिए एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम तैयार करना है, जिसके अंतर्गत कुल 1,000 करोड़ रूपए की कार्पस निधि का 10 प्रतिशत महिलाओं के स्टार्टअप के लिए आरक्षित किया गया है। एमएसएमई ने महिला उद्यमियों की सहायता करने, परामर्श देने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए ''उद्यम सखी'' नामक पोर्टल प्रारंभ किया है। भारत की उभरती हुई महिला उद्यमियों के लिए उद्यम सखी नेटवर्क एक ऐसा प्लेटफार्म है, जो उनकी सहायता करने, उद्योगों के मौजूदा परिदृश्य को समझने और उद्यमशीलता के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करने में मदद करता है। इससे भारतीय महिलाओं को व्यवसाय प्रारंभ करने, बनाने और बढ़ाने तथा सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए कम लागत वाले उत्पाद बनाने और सेवाएं प्रदान करने का व्यवसाय मॉडल बनने में मदद मिलती है।

इसी प्रकार, प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम स्थापित करने और प्रोत्साहित करने तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजित करने की एक प्रमुख ऋण-संबद्ध आर्थिक सहायता स्कीम है। पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत इस परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र इकाइयों के लिए 25.00 लाख रूपए और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इकाइयों के लिए 10.00 लाख रूपए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत महिला उद्यमियों को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना स्थापित करने के लिए क्रमश: 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। महिला लाभार्थियों का स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का केवल 5 प्रतिशत होता है, जबकि सामान्य श्रेणी के लिए यह 10 प्रतिशत है। महिला उद्यमियों सहित सभी उद्यमी अपनी इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बैंकों से अपनी परियोजना स्वीकृत होने के पश्चात 2 सप्ताह के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) के लिए पात्र होते हैं।

इसके अलावा, देश में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय डॉयचे गेलशेचाफ्टफुअर इंटरनेशनल ज़ुसमेनारबैत (जीआईजेड) जर्मनी के सहयोग से ''महिला उद्यमियों का आर्थिक सशक्तिकरण और महिलाओं द्वारा स्टार्टअप'' नामक मार्गदर्शी परियोजना चला रहा है। यह परियोजना असम, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूदा उद्यमों का उन्नयन करने और नए व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सूक्ष्म महिला उद्यमियों के लिए संपोषण और अभिवृद्धि कार्यक्रमों का मार्गदर्शन करती है। इस परियोजना का लक्ष्य 250 महिलाओं के साथ अभिवृद्धि कार्यक्रम का मार्गदर्शन करना है।

****